महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए डीएम ने दिया आदेश

आरा. डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रौशन कुशवाहा ने अर्हता तिथि एक जनवरी, 2020 के आधार पर लिंगानुपात बढ़ाने के लिए अधिक-से-अधिक महिलाओं का पंजीकरण कराने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करने के लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आइसीडीएस तथा जिला प्रोग्राम प्रबंधक जीविका को निर्देशित किया है. उन्होंने कहा कि अर्हता तिथि एक जनवरी, 2020 के आधार पर महिलाओं का निर्वाचक सूची में पंजीकरण किया जाना है. इसके लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अवसर पर निर्वाचक सूची में लिंगानुपात बढ़ाने के लिए अधिकाधिक महिलाओं का पंजीकरण कराने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि वैसी महिला जिनका उम्र 18 वर्ष हो चुका है तथा निर्वाचक सूची में नाम दर्ज नहीं है, उन महिलाओं को प्रपत्र छह प्राप्त करने तथा जिला निर्वाचन कार्यालय में 16 जनवरी तक जमा करने का निर्देश दिया गया है.